दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 925/OA-569/नीशु शुक्ला/2019 दिनाँक Dated 9-9-19.

To,

The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
E-mail : ngt.filing@gmail.com

Sub.- Compliance to the direction issued on 05.08.2019 by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 569/2019 Neeshu Shukla Vs. State of Uttar Pradesh & another.

Sir,

This has reference to the subject cited above. In compliance to the direction issued by Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 569/2019 Neeshu Shukla Vs. State of Uttar Pradesh & another, following actions have been taken.

1- Inspection of M/s. Indian Potash Ltd., Sugar Unit Rohan Kalan, Muzaffarnagar was conducted by UPPCB on 31.08.2019 (Detailed inspection report attached).

2- In sequence to the inspection carried out departmental reports have been sought from Chief Medical Officer Muzaffarnagar and Chief Veterinary Officer, Muzaffarnagar in the matter relating to occurrence of water borne diseases in human settlement around the industrial unit and in animals due to discharge of domestic effluent in roadside drain vide this office letters dated 01.09.2019 (Copy enclosed). The reports from concerning departments are still awaited.

contd....2...

3- Directions have been issued to M/s. Indian Potash Ltd., Sugar Unit Rohan Kalan, Muzaffarnagar vide communique number 877/OA-569/Nishu Shukla/MZR/2019 dated 01.09.2019 for submission of action plan to State Board regarding provision of S.T.P. for complete treatment of total domestic effluent in terms of hydraulic volume parameters as well as quality parameters (Copy enclosed).

4- Recommendation for imposing Environmental Compensation of Rs. 3.00 Lac on M/s. Indian Potash Ltd., Sugar Unit Rohan Kalan, Muzaffarnagar for violation of making S.T.P provisions has been made to U.P.P.C.B. Head Office vide letter dated 09.09.2019 (Copy enclosed).

The above action taken report in the aforesaid matter is being forwarded for perusal.

Encl. : As above.

Yours faithfully

(Vivek Roy)
Regional Officer

Copy to :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4. Chief Environmental Officer (Circle-3), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :–

"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against pollution caused by I.P.L. Sugar Mill Rohana, Vill. Behadi, Tehsil Sadar, District Muzaffarnagar, U.P. by discharging untreated sewage which is a source of disesases for the inhabitants and the animals in the area in violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Let the U.P. State Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in. ....."

उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जिला मुजफ्फरनगर, उ0प्र0 का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय के उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री आर0के0 तिवारी, मैनेजर (एच.आर. एवं लीगल) उपस्थित रहे। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1– उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जिला मुजफ्फरनगर में गन्ने का प्रयोग कर चीनी का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की क्रशिंग क्षमता 1600 टी.सी. डी. है।

2– उद्योग वर्तमान में ऑफ सीजन होने के कारण उत्पादनरत् नहीं है।

3– उद्योग में औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां आयल एण्ड ग्रीस ट्रैप, इक्वालाइजेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरिफायर (ट्यूब सैटलर), एनारोबिक टैंक (With Plastic Media), ऐरेशन टैंक, सैकेण्ड्री क्लेरिफायर, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर, स्लज ड्राइंग बैड्स आदि हैं। उद्योग में शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में प्रयुक्त किये जाने हेतु 5500 घन मी0 क्षमता का लैगून स्थापित है। उद्योग में ई0टी0पी0 के फाइनल आउटलेट पर ऑनलाइन कन्टीन्यूअस इफ्ल्यूएंट मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित है।

क्रमशः ....2...

E:\Inspection Report 2019.doc(

4– उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी में लगभग 60 परिवार निवास कर रहे हैं। घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। फोटोग्राफ संलग्न है। अन्य घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोड साइड ड्रेन में किया जाता है। अतः उक्त के सम्बन्ध में एस0टी0पी0 की स्थापना हेतु उद्योग को निर्देश पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

5– निरीक्षण/सर्वेक्षण में पाया गया कि उद्योग के पीछे की ओर रेलवे लाईन स्थित है, तत्पश्चात् प्रश्नगत् ग्राम बहेड़ी की आबादी प्रारम्भ होती है। निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि ग्राम बहेडी की ओर कोई नाला नहीं है एवं न ही किसी प्रकार के उत्प्रवाह का निस्तारण ग्राम बहेड़ी की ओर होता पाया गया।

6– उद्योग के सीवेज के कारण उद्योग के आसपास के निवासियों एवं पशुओं में बीमारी की जाँच के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा।

उपरोक्तानुसार आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

31/08/19
(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता

31/08/19
(डा0 डी0सी0 पाण्डेय)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

31/08/19

E:\Inspection Report 2019.doc

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० / Ref. No. 876/OA-569/नीशू शुक्ला/MZR/2019   दिनाँक / Dated 1-9-19.

सेवा में,

1– मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।
2– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 05.5.08.2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मै0 आई.पी.एल. शुगर, यूनिट रोहाना कलां, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने अशोधित घरेलू उत्प्रवाह के रोड साइड ड्रेन में निस्तारण के फलस्वरूप ग्राम बहेडी, मुजफ्फरनगर के आसपास के निवासियों एवं जानवरों में बीमारी होने का अभिकथन प्रेषित किया गया है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत् प्रकरण की प्राथमिकता के दृष्टिगत् मै0 आई.पी.एल. शुगर रोहाना कलां, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रदूषित रूप में घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण के फलस्वरूप आसपास के लोगों में बीमारी होने तथा पशुओं में बीमारी होने के सम्बन्ध में विभागीय जाँच कराकर कृपया आख्या इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित कराने का कष्ट करें, जिससे मा0 एन0जी0टी0 को समयबद्ध रूप से सूचना प्रेषित कराई जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 879/OA-569/Nishushukla/MZR/2019 दिनाँक Dated 1-9-19.

सेवा में,

मै0 इण्डियन पोटाश लि0
शुगर यूनिट रोहाना कलां
जनपद–मुजफ्फरनगर।

विषयः–मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 05.08.2019 (प्रति संलग्न) में निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :–

"Allegation in this letter, which has been treated as an application, is against pollution caused by I.P.L. Sugar Mill Rohana, Vill. Behadi, Tehsil Sadar, District Muzaffarnagar, U.P. by discharging untreated sewage which is a source of disesases for the inhabitants and the animals in the area in violation of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Let the U.P. State Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter, take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in. ....."

तत्क्रम में इस कार्यालय द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को कराया गया। निरीक्षण के समय यह पाया गया कि उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी से जनित घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। अन्य घरेलू प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोडसाइड ड्रेन में किया जाता है।

उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक 41459/UPPCB/MuzaffarNagar (UPPCBRO)/CTO/Water/MUZAFFARNAGAR/2018 दिनांक 05.03.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निर्गत जल सहमति का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के माध्यम से मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने

क्रमशः ...2....

हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे सम्पूर्ण घरेलू उत्प्रवाह शोधित रूप में ही मानकों के अनुरूप निस्तारित हो सके। वर्तमान में सोक पिट/सैप्टिक टैंक की व्यवस्था घरेलू जल–मल के निस्तारण हेतु है तथा शेष घरेलू प्रयोजनों से निस्तारित उत्प्रवाह रोडसाइड ड्रेन में जा रहा है। सम्पूर्ण घरेलू उत्प्रवाह के शोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत् एस0टी0पी0 का प्राविधान होना अनिवार्य पाया गया है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि एस0टी0पी0 का प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु Detailed Action Plan तत्काल राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार के घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शुद्धिकृत किये रोडसाइड ड्रेन में न करें। उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष एवं फैक्स : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

कमल सिनेमा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन रोड, मुजफ्फरनगर–251001

संदर्भ सं० Ref. No. 924/OA-569/नीशू शुक्ला/MZR/2019 दिनाँक Dated 9-9-19.

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः–मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जनपद–मुजफ्फरनगर का निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को कराया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी से जनित घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। अन्य घरेलू प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोडसाइड ड्रेन में किया जाता है, जो उद्योग को राज्य बोर्ड निर्गत जल सहमति में इंगित शर्तो का उल्लंघन है। उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु गणना आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

अतः गणना आख्या के आधार पर उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में रू0 3,00,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विवेक राय)
क्षेत्रीय अधिकारी

मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या–569/2019 नीशू शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 के अनुपालन में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग परिसर में स्थित आवासीय कालोनी से जनित घरेलू जल–मल का निस्तारण सैप्टिक टैंक/सोक पिट के माध्यम से किया जाता है। अन्य घरेलू प्रयोजनों से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण उद्योग के सामने की ओर बाउण्ड्री वाल के बाहर रोडसाइड ड्रेन में किया जाता है। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक 41459/UPPCB/MuzaffarNagar (UPPCBRO)/CTO/Water/MUZAFFARNAGAR/2018 दिनांक 05.03.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निर्गत जल सहमति का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें घरेलू उत्प्रवाह एस0टी0पी0 के माध्यम से मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे सम्पूर्ण घरेलू उत्प्रवाह शोधित रूप में ही मानकों के अनुरूप निस्तारित हो सके। वर्तमान में उद्योग में सोक पिट/सैप्टिक टैंक की व्यवस्था घरेलू जल–मल के निस्तारण हेतु है तथा शेष घरेलू प्रयोजनों से निस्तारित उत्प्रवाह का निस्तारण रोडसाइड ड्रेन में जा रहा है।

उक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत जल सहमति में इंगित शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी–31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी–1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार उद्योग मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, जनपद–मुजफ्फरनगर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक बी–31011/बीएमडब्लू/2019/डब्लूएमडी–1 दिनांक 08.02.2019 के अनुसार पर्यावरणीय क्षति = PIxNxRxSxLF

PI = Pollution Index of Industrial Sector – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार लाल श्रेणी के उद्योगों के लिए 60 से 100, नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु 41 से 59 एवं हरी श्रेणी के उद्योगों हेतु 21 से 40 रखी गयी है तथा गणना हेतु औसत Pollution Index क्रमशः 80, 50, 30 का सुझाव दिया गया है। सन्दर्भित इकाई लाल श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः Environmental Compensation हेतु PI का मान 80 रखा जाना उचित होगा।

N = Number of days of violation took place –दिनांक 31.08.2019 को इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दिनांक 31.08.2019 को आधार तिथि मानते हुए दिनांक 09.09.2019 तक कुल 10 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित है। अतः N का मान 10 होगा।

क्रमशः ....2....

R = R is a factor in Rupees for Penalty – केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार R का मान न्यूनतम 100 एवं अधिकतम 500 है तथा औसत 250 का सुझाव दिया गया है। तदानुसार गणना शीट में R का मान 250 लिया जाना उचित होगा।

S = Factor for scale of operation = इकाई एक शुगर इकाई है। इकाई वृहद् श्रेणी के अन्तर्गत आती है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Environmental Compensation हेतु जारी गाइडलाइन्स के अनुसार वृहद् श्रेणी के उद्योगों हेतु S का मान 1.5 लिया जाना उचित होगा।

LF = Location factor = इकाई से निकटतम आबादी 10 लाख के अन्दर आती है। अतः LF का मान 1 लिया जाना उचित है।

उपरोक्तानुसार इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्न प्रकार है :–

EC = PIxNxRxSxLF

= 80 x 10 x 250 x 1.5 x 1

= 3,00,000/-

अतः गणना के अनुसार उद्योग के विरूद्ध रू0 3,00,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किये जाने के लिए संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित किये जानें हेतु आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

09/09/19
(विपुल कुमार)
अवर अभियन्ता

09/09/2019
(डा0 डी0सी0 पाण्डेय)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

PHOTOGRAPH OF SEPTIC TANK/SOAK PIT